27.5.12 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.डण्डाली मे पेश हुई। पक्षकारान के लोक अदालत नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थीगण बावजुद सुचना के हाजिर नही होने पर उने विरूद्व एकतरफा कार्यावही अमल मे लाई जाती है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। प्रार्थी का आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(हस्ताक्षर) 27/5/12

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र करना)

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.129/2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
सुभान खां पुत्र हीराखां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गिरली कितपाल तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.जमालखां पुत्र पीथा खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोसर तहसील बायतु व जिला बाड़मेर 2.कुम्भा पुत्र नाथू 3.रताराम पुत्र हजाराम जाति मेगवाल निवासी नोसर तहसील बायतु व जिला बाड़मेर 4.जमालखां 5.चन्दुखां 6.वलीखां 7.इब्राहिम पिसरान राणा खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोसर तहसील बायतु व जिला बाड़मेर 8.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक–2?.5.17

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **गिरली कीतपाल** पटवार क्षेत्र भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 148/62 रकबा 65–08 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा **गिरली कीतपाल** पटवार क्षेत्र भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 148/62 रकबा 65–08 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्राथीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.हस्तगत आवेदन मे तलबी पूर्ण हो चुकी है। और पक्षकारान बावजुद सुचना के हाजिर नही होने के कारण एकतरफा कार्यवी अमल मे लाई जा चुकी है। इस कारण प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

4.हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम **गिरली कीतपाल** पटवार क्षेत्र भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 148/62 रकबा 65–08 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर **ग्राम गिरली कीतपाल पटवार क्षेत्र भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी**

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

की खेत खसरा संख्या 148/62 रकबा 65–08 बीधा भूमि के सबंध मे सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

27/5/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27/5/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

27/5/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner